"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 290] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 22 सितम्बर 2009—भाद्र 31, शक 1931

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-30/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगरपालिका किरन्दुल, जिला-दक्षिण बस्तर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	12	स्वामी विवेकानंद वार्ड
		18	ईश्वरचंद विद्यासागर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	2	शहीद भगतसिंह वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	1	सुभाष चंद्र बोस वार्ड
		11	डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड
		13	जवाहर लाल नेहरू वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	16	महात्मा गांधी वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	6	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
		8	राजीव गांधी वार्ड
		9	प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	10	रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड
		14	सरदार वल्लभ भाई वार्ड
7.	महिला वर्ग	3	खुदीराम बोस वार्ड
		4	बाबा साहेब अंबेडकर वार्ड

Raipur, the 17th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-30/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Municipal Council Kirandul, Distt. South Bastar is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	12	Swami Vivekanand Ward
		18	Iswarchand Vidyasagar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	2	Shahid Bhagat Singh Ward
3.	Scheduled Tribes	1	Subhash Chandra Bose Ward
		11	Dr. Rammanohar Lohiya Ward
		13	Jawahar Lal Nehru Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	16	Mahatma Gandhi Ward
5.	Other Backward Class	6	Dr. Rajendra Prasad Ward
		8	Rajiv Gandhi Ward
		9	Priyadarshini Indira Gandhi Ward
6.	Other Backward Class (Female)	10	Ravindra Nath Taigore Ward
		14	Sardar Vallabh Bhai Patel Ward
7.	Female	3	Khudiram Bose Ward
		4	Baba Saheb Ambedkar Ward

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-30/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगरपालिका बड़ी बचेली, जिला-दक्षिण बस्तर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	4	वीरांगना दुर्गावती वार्ड
		16	गोपाल कृष्ण गोखले वार्ड
		18	नेहरू वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	5	शहीद वीर नारायण वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	6	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
		9	महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड
		14	लोकमान्य तिलक वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	1	सरदार वल्लभ भाई वार्ड
		3	महात्मा गांधी वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	12	सुभाष चंद्र बोस वार्ड
		13	चन्द्रशेखर वार्ड
		17	महादेव वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	8	श्री रामनगर वार्ड
		11	डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड
7.	महिला वर्ग	2	डॉ. अंबेडकर वार्ड

Raipur, the 17th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-30/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Municipal Council Badi-Bacheli, Distt. South Bastar is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37

of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	4	Virangna Durgawati Ward
		16	Gopal Krishna Gokhale Ward
		18	Jawaharlal Nehru Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	5	Shahid Vir Narayan Ward
3.	Scheduled Tribes	6	Lal Bahadur Shastri Ward
		9	Maharani Laxmi Bai Ward
		14	Lok Manya Tilak Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	1	Sardar Vallabh Bhai Patel Ward
		3	Mahatma Gandhi Ward
5.	Other Backward Class	12	Subhash Chandra Bose Ward
		13	Chandrashekhar Ward
		17	Mahadev Ward
6.	Other Backward Class (Female)	8	Shri Ram Nagar Ward
		11	Dr. Rammanohar Lohiya Ward
7.	Female	2	Dr. Ambedkar Ward

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-30/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. [illegible] सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत दंतेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	6	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)		निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	1	डॉ. अंबेडकर वार्ड
		2	महात्मा गांधी वार्ड
		10	सुभाषचंद्र बोस वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	5	माता दन्तेश्वरी वार्ड
		8	चन्द्रशेखर वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	3	राजीव गांधी वार्ड
		4	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
		13	भगत सिंह वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	14	संजय नगर वार्ड
7.	महिला वर्ग	11	सिविल लाईन वार्ड
		12	इंदिरा वार्ड

Raipur, the 17th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-30/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Dantewada, Distt. South Bastar is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	6	Lal Bahadur Shastri Ward
2.	Scheduled Caste (Female)		Nil
3.	Scheduled Tribes	1	Dr. Ambedkar Ward
		2	Mahatma Gandhi Ward
		10	Subhash Chandra Bose Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	5	Mata Danteshwari Ward
		8	Chandrashekhar Ward
5.	Other Backward Class	3	Rajiv Gandhi Ward
		4	Pt. Jawahar Lal Nehru Ward
		13	Bhagat Singh Ward
6.	Other Backward Class (Female)	14	Sanjay Nagar Ward
7.	Female	11	Civil Line Ward
		12	Indira Ward

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-30/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत सुकमा, जिला-दक्षिण बस्तर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग		निरंक
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)		निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	3	शिवाजी नगर वार्ड
		10	शान्ति नगर वार्ड
		14	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	8	बिरसामुंडा वार्ड
		15	रंगराज वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	भगत सिंह वार्ड
		6	सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	5	विवेकानंद वार्ड
7.	महिला वर्ग	4	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
		7	महात्मा गांधी वार्ड

Raipur, the 17th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-30/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Sukma, Distt. South Bastar is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste		Nil

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Scheduled Caste (Female)		Nil
3.	Scheduled Tribes	3 10 14	Shivaji Nagar Ward Shanti Nagar Ward Pt. Dindayal Upadhaya Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	8 15	Birsa Munda Ward Rangraj Ward
5.	Other Backward Class	2 6	Bhagat Singh Ward Sardar Vallabh Bhai Patel Ward
6.	Other Backward Class (Female)	5	Vivekanand Ward
7.	Female	4 7	Pt. Jawahar Lal Nehru Ward Mahatma Gandhi Ward

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-30/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत गीदम, जिला-दक्षिण बस्तर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	1	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)		निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	6 14	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड करती पारा वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	15	शीतला मंदिर वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	5 8 11	[illegible] नगर वार्ड डॉ. अम्बेडकर वार्ड वीरनारायण वार्ड.
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	3	[illegible] नगर वार्ड.
7.	महिला वर्ग		[illegible] नगर वार्ड [illegible]

Raipur, the 17th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-30/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Gidam, Distt. South Bastar is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	1	Dr. Rajendra Prasad Ward
2.	Scheduled Caste (Female)		Nil
3.	Scheduled Tribes	6	Lal Bahadur Shastri Ward
		14	Karti Para Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	15	Shitla Mandir Ward
5.	Other Backward Class	5	Minimata Nagar Ward
		8	Dr. Ambedkar Ward
		11	Vir Narayan Ward
6.	Other Backward Class (Female)	3	Indira Nagar Ward
7.	Female	4	Mahavir Nagar Ward
		9	Maharana Pratap Ward
		12	Gayatri Nagar Ward

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-30/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत बारसूर, जिला-दक्षिण बस्तर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग		निरंक
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)		निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	2	शिवाजी वार्ड
		3	गणेश मंदिर वार्ड
		5	अटल वार्ड
		11	जवाहर लाल वार्ड
		15	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	6	आजाद चन्द्रशेखर वार्ड
		10	महात्मा गांधी वार्ड
		14	शहीद गैंदसिंह वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग		निरंक
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)		निरंक
7.	महिला वर्ग	1	महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड
		12	दीनदयाल वार्ड

Raipur, the 17th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-30/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Barsur, Distt. South Bastar is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste		Nil
2.	Scheduled Caste (Female)		Nil
3.	Scheduled Tribes	2	Shivaji Ward
		3	Ganesh Mandir Ward
		5	Atal Ward
		11	Jawaharlal Nehru Ward
		15	Lal Bahadur Shastri Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	6	Azad Chandrashekhar Ward
		10	Mahatma Gandhi Ward
		14	Shahid Gaindsingh Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Other Backward Class		Nil
6.	Other Backward Class (Female)		Nil
7.	Female	1	Maharani Laxmibai Ward
		12	Dindayal Ward

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमन्त पहारे, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.